भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1016
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

व्यापक रोजगार नीति

1016. श्री राहुल कासवान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या को देखते हुए देश के लिए एक व्यापक रोजगार नीति तैयार की है/परिकल्पित की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रमुख क्षेत्रों विशेषकर कौशल विकास और उद्यमिता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन की संक्षिप्त रूप-रखा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख): देश में रोजगार और बेरोजगारी परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु, सरकार ने आपूर्ति पक्ष (यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)) और मांग पक्ष (यानी त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस), उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) इत्यादि) दोनों पक्ष के सर्वेक्षणों को प्रारंभ किया है।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु कौशल विकास और उद्यमिता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम लागू करके कई कदम उठाए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एएसपीआईआरई), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) आदि शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में कौशल/पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

स्टार्टअप इंडिया उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है। सरकार का उद्देश्य देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का है।

*****